संख्या-18/2021/सा0-158 /38-2-2020

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2021**

विषय:- जनपद-अमेठी के विकास खण्ड मुसाफिरखाना में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-अमेठी के विकास खण्ड मुसाफिरखाना में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् निर्माण इकाई-अमेठी को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए आपके पत्रांक-10/बजट अनु0/सामु0वि0/ 2020-21, दिनांक 15-06-2020 के माध्यम से प्राप्त एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा आकलित लागत रू0 464.93 लाख (रूपये चार करोड़ चौसठ लाख तिरान्नवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 232.46 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/ दस-2020-231/ 2020, दिनांक 29.09.2020 तथा शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक 20.01.2021 अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। समय-समय पर स्थलीय अनुरक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) आंकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके अपितु आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास 02 माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो, तदुपरान्त ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(8) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई- परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(11) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(12) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार द्विरावृत्ति न हो।

(13) स्वीकृत धनराशि का आहरण और व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि आश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन, निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय/डाइवर्ट अनुमन्य नहीं होगा। जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(17) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(19) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार /मानकों के अधीन किया जायेगा व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य अनुमोदित ड्राईंग के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन गठित करते हुए उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य कराया जायेगा, साथ ही निर्मित ध्वस्तीकरण से प्राप्त होने वाली सामग्री की धनराशि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(24) प्राक्कलन में प्रस्तावित 2 प्रतिशत का आकस्मिक व्यय हेतु किया गया प्राविधान वित्त विभाग की अनुमन्यता के अनुसार देय होगा।

(25) परियोजना में उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे- प्राविधान एवं डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(26) पूर्व निर्मित निष्प्रयोज्य भवनों से प्राप्त सामग्री का समायोजन वित्तीय निमयानुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों /केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-187/x-21, दिनांक 23.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-18/2021/सा0-158(1)/38-2-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अमेठी।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, अमेठी।
6- कोषाधिकारी, अमेठी।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अमेठी।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् निर्माण इकाई-अमेठी।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-6
11 - गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।